



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 33-2026] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 13, 2026 (SRAVANA 22, 1948 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

आदेश

दिनांक 10 अगस्त, 2026

संख्या 1162-स्टर-1-2026.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पी.एम.ए.वाई.-यू 2.0) के अधीन पंजीकृत 60 वर्ग मीटर तक के आवासों के हस्तांतरण विलेखों के संबंध में, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 23(क) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को कम करते हैं और प्रति विलेख स्टाम्प शुल्क की राशि 500/-रुपए (केवल पांच सौ रूपए) नियत करते हैं, बशर्ते कि क्रेता द्वारा सर्वस्व आवासन विभाग अथवा पदाभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि क्रेता उक्त योजना का पंजीकृत लाभार्थी है।

डॉ. सुमिता मिश्रा,

वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Order

The 10th August, 2026

No. 1162-STR-1-2026.— In exercise of the powers conferred under the proviso to clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), the Governor of Haryana hereby reduces and fixes the stamp duty at Rs. 500/- (Five hundred rupees only) per deed to be chargeable under article 23(a) of Schedule 1-A of the said Act, in respect of conveyance deeds relating to houses up to 60(sixty) square meters registered under the Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 (PMAY-U 2.0), subject to production of a certificate issued by the Department of Housing for All (DHFA) or the designated Competent Authority certifying that the transferee is a registered beneficiary under the said scheme.

DR. SUMITA MISRA,
Financial Commissioner Revenue &
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

12757—C.S.—H.G.P., Pkl.

(1777)